

## 179426 - क्या वह अपने सज्दे के दौरान ज़ईफ़ हदीस से दुआ कर सकता है..?

### प्रश्न

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या निम्न हदीस और दुआ सही हैं? अगर वे सही हैं, तो क्या मैं इस दुआ को सज्दे या तशह्हुद में पढ़ सकता हूँ? यदि वे सही नहीं हैं, तो क्या तशह्हुद या सज्दे में इस दुआ को पढ़ना बिदाअत के अंतर्गत आएगा? हदीस यह है : अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्होंने कहा : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बहुत सारी दुआएँ कीं, लेकिन हमें उनमें से कुछ भी याद नहीं रहा। हमने कहा : ए अल्लाह के रसूल! आपने बहुत-सी दुआएँ कीं, लेकिन हम उनमें से कुछ भी याद नहीं रख सके। आपने कहा : “क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ (दुआ) न बताऊँ, जिसमें वे सब (दुआएँ) समाविष्ट हों? तुम कहो : “अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलुका मिन् खैरि मा स-अलका मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, व-अऊज़ो बिका मिन् शर्रे मस्तआज़ा मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, व-अन्तल मुसतआनो, व-अलैकल बलागो, व-ला हौला व-ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह” (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे वह भलाई माँगता हूँ जो तेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुझसे माँगी है। तथा मैं उस बुराई से तेरी शरण चाहता हूँ जिससे तेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तेरी शरण माँगी है। तू ही सहायक है, और तेरे ही ज़िम्मे (भलाई एवं बुराई का) पहुँचाना है, तथा अल्लाह की तौफ़ीक़ के बिना बुराई से बचने की शक्ति और भलाई करने का सामर्थ्य नहीं है।)” इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

### विस्तृत उत्तर

सर्व प्रथम :

इस हदीस को तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 3521) ने लैस बिन अबी सुलैम की रिवायत से वर्णन किया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह ने “तक्ररीबुत-तहज़ीब” (2/464) में कहा : “वह सद्क़ हैं, वह बहुत इख़्तिलात से पीड़ित हो गए थे और उनकी हदीस में विभेद नहीं हो सका। इसिलए उन्हें छोड़ दिया गया।” उद्धरण समाप्त हुआ।

इस हदीस को शैख अल्बानी रहिमहुल्लाह ने “ज़ईफ़ अत-तिर्मिज़ी” आदि में ज़ईफ़ (कमज़ोर हदीस) के रूप में वर्गीकृत किया है।

लेकिन इस हदीस में वर्णित दुआ एक अन्य हदीस से प्रमाणित है, जो कि यहाँ उल्लिखित हदीस से लंबी है :

आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें यह दुआ सिखाई : “अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलुका मिन् खैरि कुल्लिहि, आ’जिलिहि व आजिलिहि मा अलिमतो मिन्हु, वमा लम आ’लम, व अऊज़ो बिका मिन् शर्रे कुल्लिहि, आ’जिलिहि व आजिलिहि मा अलिमतो मिन्हु, वमा लम आ’लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलुका मिन् खैरि मा स-अलका अब्दुका व नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, व-अऊज़ो बिका मिन् शर्रे मा आज़ा मिन्हु अब्दुका व नबिय्युका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलुका अल-जन्नह वमा क़र्रबा इलैहा मिन् क़ौलिन औ अमल, व-अऊज़ो बिका मिन् नारि वमा क़र्रबा इलैहा

मिन क़ौलिन औ अमल, व अस-अलुका अन् तज्जला कुल्ला क़ज़ाइन तक्ज़ीहे ली खैरा।” (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे लोक और परलोक की प्रत्येक भलाई माँगता हूँ, जो मुझे मालूम है और जो मैं नहीं जानता हूँ। तथा मैं तुझसे लोक और परलोक की प्रत्येक बुराई से तेरी शरण चाहता हूँ, जो मुझे मालूम है और जो मैं नहीं जानता हूँ। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे उस भलाई का प्रश्न करता हूँ जो तेरे बंदे और पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुझसे माँगी है, और मैं उस बुराई से तेरी शरण चाहता हूँ जिससे तेरे दास और पैगंबर ने शरण माँगी है। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे स्वर्ग और उससे क़रीब कर देनेवाले कथन और कर्म का सवाल करता हूँ, तथा मैं नर्क और उससे क़रीब कर देनेवाले कथन और कर्म से तेरी शरण चाहता हूँ। और मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ कि हर वह चीज़ जिसका तू मेरे लिए फैसला करता है, उसे बेहतर बना दे।”

इस हदीस को अहमद ने अपनी मुसनद (हदीस संख्या : 24498) में और इब्ने माजा (हदीस संख्या : 3846) ने रिवायत किया है। तथा अलबानी ने इसे “सहीहुल-जामे” (हदीस संख्या : 1276) में सहीह करार दिया है।

लेकिन, यदि कोई दुआ अच्छी और उपयुक्त है और उसका अर्थ सही (शुद्ध) है, तो उसके साथ दुआ करना जायज़ है, भले ही वह किसी ज़ईफ़ (कमज़ोर) हदीस में वर्णित हुई हो, बल्कि भले ही वह सिरे से किसी हदीस या असर में वर्णित ही न हो। अतः बंदा अपनी नमाज़ में दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए कोई भी दुआ चयन कर सकता है, जो उसे सबसे अधिक पसंद और उस स्थान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित दुआ का पालन करना : सर्वोचित और सबसे अधिक बरकत वाला है; किंतु या शर्त नहीं है।

पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “... फिर वह उस दुआ का चयन करे जो उसे सबसे अधिक पसंद हो और उसके द्वारा दुआ करे।” इसे बुखारी (हदीस संख्या : 835) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 402) ने रिवायत किया है।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “सज्दे के अंदर दुआ करने में परिश्रम करो; क्योंकि यह इस बात के अधिक योग्य है कि तुम्हारी दुआ स्वीकार की जाए।” इसे मुस्लिम (हदीस संख्या : 479) ने रिवायत किया है।

सामान्य दुआ तथा प्रतिबंधित (यानी किसी समय या स्थान या परिस्थिति इत्यादि के साथ संबंधित) दुआ के हुक्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए, प्रश्न संख्या : (102600) का उत्तर देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।